संख्या : 87/2015/1593/छप्पन-15-9/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 नवम्बर, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटों के उपयोगार्थ आई-पैड के लिये 3जी इन्टरनेट के 18 सिमकार्ड्स मैसर्स वोडाफोन कम्पनी से मासिक रेन्टल प्लान के अन्तर्गत क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या- 367/ना0उ0नि0/आप्स-36/2015, दिनांक 03-7-2015, पत्र संख्या- 427/ना0उ0नि00/आप्स-36/2015, दिनांक 30-7-2015 एवं पत्र संख्या- 617/ना0उ0नि0/आप्स-36/2015, दिनांक 26-10-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- नागरिक उड्डयन निदेशालय के 18 पायलटों के उपयोगार्थ क्रय किये गये 18 आई-पैड के लिए 3जी इन्टरनेट वाले 18 सिमकार्ड्स के प्रस्ताव प्रतिष्ठित टेलीकॉम कम्पनियों से प्राप्त किये गये। प्राप्त प्रस्तावों में से मैसर्स वोडाफोन का प्रस्ताव न्यूनतम पाया गया। न्यूनतम दरदाता मैसर्स वोडाफोन कम्पनी से मासिक रेन्टल प्लान के अन्तर्गत प्रतिमाह रूपये 500/- प्रति सिमकार्ड की दर से 18 (अट्ठारह) सिमकार्ड्स क्रय किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नागरिक उड्डयन निदेशालय के 18 (अट्ठारह) पायलटों के लिए क्रय किये गये आई-पैड के उपयोगार्थ 18 3जी इन्टरनेट सिमकार्ड्स मैसर्स वोडाफोन कम्पनी से मासिक रेन्टल प्लान के अन्तर्गत प्रतिमाह रूपये 500/- (रूपये पॉच सौ मात्र) प्रति सिमकार्ड की दर से क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। इस पर अनावर्तक व्यय रूपये 1,08,000-00 (रूपये एक लाख आठ हजार मात्र) वार्षिक निहित है।

3- मै0 वोडाफोन से प्राप्त वीजक एवं पायलटों द्वारा 3जी सिमकार्ड्स के उपयोग की पुष्टि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा और तदुपरान्त कम्पनी को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त इंगित सिमकार्ड्स पर प्रतिमाह होने वाला व्यय लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-26-मशीन साज सज्जा एवं उपकरण संयंत्र से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-971/दस-2015, दिनांक 04 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 87/2015/1593 (1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सहायक प्रबन्धक, मैसर्स वोडाफोन बिजनेस सर्विसेस, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।